


-:निविदा की शर्तें:-

- 1) प्रत्येक निविदा सील बंद लिफाफे में होना चाहिये। निविदा लिफाफे पर अपना टिन, GST.नम्बर अंकित करना होगा तथा यह सपष्ट करना होगा कि निविदा किस-किस खण्ड हेतु एवं किस-किस सामग्री हेतु प्रस्तुत की जा रही है।
- 2) निविदा 02 लिफाफे में प्रस्तुत किया जावेगा। एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र (संपूर्ण दस्तावेज) तदानुसार लिफाफे के उपर लिखा जावेगा। निविदा प्रपत्र एवं सुरक्षा निधि वाले लिफाफा को प्रथम खोला जावेगा, दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर निविदाकार के फार्म को निरस्त कर दिया जावेगा। प्रचलित बाजार दर को दूसरा लिफाफा में रखा जावे।
- 3) निविदा फार्म क्रय हेतु साथ में आवश्यक दस्तावेज जी.एस.टी./टी.डी.एस./ टेन नं./आधार कार्ड, फुट सेप्टी लायसेंस, एवं वाणिज्यकर का जीवित पंजीयन कार्ड सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
- 4) सील बंद लिफाफे के साथ निविदाकार को GST पंजीयन फार्म 06/25 वाणिज्यिक कर विभाग का जीवित पंजीकृत प्रमाण पत्र एवं स्थापना के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5) प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का 03 प्रतिशत सुरक्षा निधि छ.ग. भण्डार क्रय नियम व छ.ग.जेल नियमावली केअनुसार जमा करना होगा। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार को रोककर असफल निविदाकार की राशि 15 दिवस पश्चात वापस लौटा दी जावेगी। सुरक्षा निधि की राशि नगद स्वीकार नहीं होगी। यह राशि चालान के माध्यम से अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा जावे।
- 6) इस प्रतिभूति के राशि के अतिरिक्त जेल पूर्ति नियम 1968 के नियम 10 (ग) के अनुसार शोध क्षमता प्रमाण पत्र या उसके बदले में 10 प्रतिशत प्रतिभूति भी प्राप्त किया जाना होगा, ताकि आपूर्तिकर्ता के बीच में प्रदाय बंद किये जाने पर भी आपूर्ति बाधित न हो।
- 7) निविदाकार को निविदा स्वीकृति उपरांत जारी प्रदायगी आदेश के 03 दिवस के अंदर सामग्री निर्धारित स्थान तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय पर सामग्री पूर्ति न होने पर बगैर निविदाकार को सूचना दिये स्थानीय बाजार से क्रय की जावेगी तथा शासन को होने वाली हानि की वसूली निविदाकार से की जावेगी।
- 8) किसी फर्जी फर्म द्वारा निविदा भरे जाने पर पूर्ण परीक्षण किया जावेगा। निविदाकार के पास पर्याप्त स्थानीय भंडारण व्यवस्था, कार्य का ज्ञान आदि का निरीक्षण किया जा सकता है।
- 9) सामग्री प्रदायगी आदेश जारी किये जाने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से इकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा। नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता फर्म को अपने स्वयं के व्यय से वापस ले जाना होगा।
- 10) निविदा खोले जाने की तिथि 17.08.2022 समय शाम 4.30 बजे है। निविदायें उपस्थित निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि तथा क्रय समिति के समस्त सदस्यों के सामने खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने का समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है। पृथक से कोई भी कर देय नहीं होगा।
- 11) निविदा में दर्शायी गई सफल निविदाकार की दरें दिनांक 31.03.2023 तक अथवा वर्ष 2022-23 के वार्षिक ठेके तक, जो भी प्रथम हो प्रभावशील रहेगी।
- 12) छत्तीसगढ़ शासन वित्त तथा योजना विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर के पत्र क्र. 136 ए. /वित्त/ब-4/चार 2012 दिनांक 22.06.2018 के अनुसार देयकों के भुगतान पर निर्धारित वेट/जीएसटी. टैक्स काट कर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
- 13) निविदाकारों को निविदा की सामग्री का नमूना पृथक पृथक 200 ग्राम में निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदाकार को अपने व्यय से सामग्री की प्रदायगी जेल गेट पर अपने अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं के व्यय पर करना होगा।
- 14) निविदाकार की किसी भी प्रकार की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। निविदाकार को निविदा की वस्तुओं का मूल्य अंकों एवं शब्दों में सुलेख/सुस्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। ऊपरी लेखन तथा काट-छांट किये गये निविदा को विचारण क्षेत्र में नहीं रखा जायेगा।

- 15) निविदा विहित फार्म की प्रति एवं निविदा से संबंधित सामान्य जानकारी रु. 1,500/- (एक हजार पाँच सौ मात्र) का भुगतान करने पर कार्यालय अधीक्षक उप जेल कटघोरा से प्राप्त की जा सकती है।
- 16) निविदाकार को व्यापारियों संस्थान का स्पष्ट पता जहां से माल प्रदाय किया जायेगा देना होगा। क्रय अधिकारी चाहे तो किसी भी वस्तु का नमूने से कभी भी मिलान कर सकता है या प्रदाय सामग्री का रासायनिक परीक्षण करा सकता है। त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर क्रय अधिकारी क्रय आदेश निरस्त करने का अधिकारी होगा एवं अनावश्यक विवाद की स्थिति में भी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 17) क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं संख्या में कमी या वृद्धि क्रय अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। निविदा में सामग्रियों के खाली टीन, बोरे आदि की दरें नहीं जोड़ी जायेगी। वस्तु का वास्तविक मूल्य ही अंकित किया जाये।
- 18) निविदाओं का अनुमोदन जेल महानिरीक्षक/महानिदेशक द्वारा किया जावेगा। जेल महानिरीक्षक का विशेषाधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को आमाम्य करेगा। यथा निविदा की पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।
- 19) निविदा फार्म निविदा दिनांक 17.08.2022 के एक दिन पूर्व अवकाश दिवस छोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुओं का मांग-पत्र, दैनिक, सप्ताहिक आवश्यकताओं के अनुसार दिया जायेगा। सामग्री क्रय करने हेतु जेल नियम लागू होंगे।
- 20) समस्त प्रतियों जेल द्वार उप जेल कटघोरा पर ही स्वीकृत होंगी।
- 21) वस्तुओं की मात्रा अनुमानित है एवं उससे अधिक या कम क्रय करने का अधिकार जेल अधीक्षक उप जेल कटघोरा को होगा। शासकीय संस्थाओं में खाद्यान्न सामग्री प्रदाय का पाँच वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव वाले व्यापारियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 22) शासकीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सामग्री निविदाओं से क्रय नहीं की जावेगी।
- 23) निविदाकार को खाद्यान्न आपूर्ति का प्रयाप्त अनुभव होना चाहिए। निविदाकार या उनके प्रतिनिधि को माह प्रदाय समय माह के साथ आना होगा। जब भी आवश्यकता महसूस होगी माल को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा जा सकेगा। इस प्रकार भेजे गये माह का भुगतान परीक्षण रिपोर्ट में मापदण्ड के अनुरूप सही स्तर पर नहीं पाया गया तो इस संस्था के निविदाकार एवं उनके फर्म को निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।
- 24) निविदाकार को विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न, जी.एस.टी.रिटर्न (विगत तीन माह का) प्रस्तुत करना होगा।
- 25) निविदाकार को करारनामा 100 (एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर 01 दिवस के अन्दर जमा करना होगा। करारनामा विधिवत निष्पादित होने के पश्चात ही प्रदाय आदेश जारी किया जायेगा।
- 26) निविदा में दर्शायी गई सफल निविदाकार से खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की दरें दिनांक 31.03.2023 तक तथा संबन्धियों के भाव अंतिम 30.09.2022 तक अथवा अगामी वर्ष के टेके स्वीकृत होने तक जो भी प्रथम हो वैध रहेंगे।
- 27) निविदाकार की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 29) चायपत्ती/सरसों तेल/वनस्पति घी/ सोयाबीन तेल/ कोलगेट टूथ पावडर /ट्यूबरॉड / चोक/सी.एफ.एस./एल.ई. डी.बल्व एवं जितने भी ब्रानडेड वस्तु हैं उनका नमूने की आवश्यकता नहीं है।


अधीक्षक,
 उपजेल कटघोरा (उ.ग.)
 जिला-कोरवा (छत्तीसगढ़)